

28/06/2022

वकील वकील द्वारा तार्थना पत्र वादों
पत्रावली आगामी तारीख से माज सुनवाई
हेतु तत्पक्ष परमाये जाने के कारण पत्रावली
आज नियत तिथि से श्वे तत्पक्ष की गई।
वकील वकील एवं वकीलगण द्वारा ह.पत्र.

वादों वकीलगण का वर नोटिफिस में धारिज
किये जाने वाकत पेश कर निवेदन किया
कि अतः वकीलगण का तार्थना पत्र वादों
वाद नोटिफिस में धारिज किये जाने वाकत
र-वकीलकार किया जाता है। एवं वकीलगण का
वाद नोटिफिस में धारिज किया जाकर
पत्रावली फेदरल सुमार होकर पत्रावली नामवर
से रुम हो।

उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ़। अजमेर।

क 15 दस्तावेज

की वला का वर

कि

Plainly

Identified by

m
32

